



The Bihar Land Mutation Act, 2011

Act 23 of 2011

Keyword(s):

Mutation, Record of Rights, Circle Officer, Karmachari, Raiyat, Revenue Village, Jamabandi

Amendments appended: 16 of 2012, 22 of 2017, 24 of 2021

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 पौष 1933 (श0)

(सं0 पटना 801) पटना, वृहस्पतिवार, 22 दिसम्बर 2011

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

22 दिसम्बर 2011

सं० एल0जी0-1-24/2011/लेज-245—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 20 दिसम्बर 2011 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 23, 2011]

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011

प्रस्तावना।—भूमि के दाखिल खारिज की प्रक्रिया को वर्तमान समय की आवश्यकताओं के साथ सहगामी बनाने और इसे विनियमित करने हेतु उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नरूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय—I**प्रारंभिक**

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ**।—(1) यह अधिनियम बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह सरकार द्वारा बिहार राजपत्र में यथा अधिसूचित तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएँ**।— इस अधिनियम में, जबतक कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,

(1) "दाखिल खारिज" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति का किसी होल्डिंग अथवा उसके भाग में अधिकार के अंतरण के फलस्वरूप चालू खतियान, अभिधारी खाता—पंजी तथा खेसरा पंजी के इन्द्राजों में निम्नलिखित किसी उपाय/लिखत द्वारा परिवर्तन :-

(क) क्रय—विक्रय, दान;

(ख) विनिमय;

(ग) होल्डिंग का बंटवारा;

(घ) विरासत/निर्वसीयत उत्तराधिकार अथवा वसीयती ;

(ङ) विल;

(च) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन न्यायालय का आदेश/डिक्री;

(छ) बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के अधीन न्यायालय का आदेश/डिक्री;

(ज) सक्षम प्राधिकार द्वारा लोक भूमि की बन्दोबस्ती/अंतरण/समनुदेशन;

(झ) भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत अर्जन;

(ञ) बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 के अधीन प्रदत्त भूमि;

(ट) बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियम, 1947 के अधीन वासगीत स्थल की बन्दोबस्ती;

(ठ) क्रय नीति, 2010 के अधीन महादलित परिवारों के लिए रैयती भूमि का त्रिपक्षीय क्रय;

(ड) कोशी क्षेत्र (रैयतों को भूमि—वापसी) अधिनियम, 1951 के अधीन पूर्व रैयत को भूमि का प्रत्यावर्तन;

(ढ) भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन पूर्व रैयत को भूमि का प्रत्यावर्तन;

(ण) बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 के अधीन अधिशेष भूमि की बन्दोबस्ती, अथवा;

(त) किसी अन्य उपाय/लिखत द्वारा जिसे सरकार समय—समय पर अधिसूचित कर सकती है।

(2) "खतियान" से अभिप्रेत है बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के अध्याय—X के अधीन अंतिम रूप से प्रकाशित नवीनतम अधिकार—अभिलेख;

(3) "चालू खतियान" से अभिप्रेत है विहित प्रपत्र में संधारित अंतिम रूप से प्रकाशित अंतिम अधिकार—अभिलेख के पश्चात् अद्यतन किया गया अधिकार—अभिलेख जो किसी व्यक्ति के किसी होल्डिंग अथवा उसके भाग में अधिकार के परिवर्तन को दर्शाता है;

(4) "अभिधारी खाता पंजी" से अभिप्रेत है विहित प्रपत्र में संधारित राजस्व ग्रामवार पंजी जो राजस्व ग्राम के विभिन्न अभिधारियों द्वारा धारित भूमि का ब्योरा तथा भूमि धारण के फलस्वरूप सालाना लगान एवं सेस के साथ ही साथ उनसे सालाना लगान एवं सेस की वसूली दर्शाता है;

(5) "सक्षम प्राधिकार" से अभिप्रेत है सम्बन्धित अधिनियम/नियमावली/हस्तक के अधीन किसी लोक भूमि को बन्दोबस्त/अंतरण/समनुदेशन करने हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी;

(6) "अंचल अधिकारी" से अभिप्रेत है सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त पदाधिकारी या इस अधिनियम के अधीन अंचल अधिकारी के किसी एक या सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य पदाधिकारी;

(7) "भूमि सुधार उप—समाहर्ता" से अभिप्रेत है सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त पदाधिकारी या इस अधिनियम के अधीन भूमि सुधार उप—समाहर्ता के किसी एक या सभी कृत्यों के निर्वहन करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य पदाधिकारी;

(8) "समाहर्ता" से अभिप्रेत है जिला का समाहर्ता;

- (9) "अपर समाहर्ता" से अभिप्रेत है जिला का अपर समाहर्ता या इस अधिनियम के अधीन अपर समाहर्ता के किसी एक या सभी कृत्यों के निर्वहण के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य पदाधिकारी;
- (10) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है समाहर्ता द्वारा इस रूप में नियुक्त कोई कर्मचारी या इस अधिनियम के अधीन किसी हल्का के कर्मचारी के किसी एक या सभी कृत्यों के निर्वहण के लिए समाहर्ता द्वारा अधिसूचित कोई अन्य कर्मचारी;
- (11) "अंचल निरीक्षक" से अभिप्रेत है सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त कोई पदाधिकारी या इस अधिनियम के अधीन अंचल निरीक्षक के किसी एक या सभी कृत्यों के निर्वहण के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य पदाधिकारी;
- (12) "हल्का" से अभिप्रेत है कर्मचारी के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राजस्व प्रशासन की सबसे छोटी प्रशासनिक ईकाई;
- (13) "अभिधारी" शब्द का वही अर्थ है जो बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 में इसके प्रति समनुदेशित किया गया हो;
- (14) "होल्डिंग" से अभिप्रेत है किसी रैयत द्वारा धारित भूमि का एक या अनेक ऐसे खण्ड जो एक पृथक अभिधृति के अंग हो;
- (15) "रैयत" शब्द का वही अर्थ है जो बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 में इसके प्रति समनुदेशित किया गया हो;
- (16) "निबंधित" से अभिप्रेत है भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 के अधीन निबंधित कोई दस्तावेज;
- (17) "निबंधन प्राधिकार" से अभिप्रेत है भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 के अधीन निबंधन प्राधिकारी;
- (18) "शुद्धि-पत्र" से अभिप्रेत है अंचल अधिकारी द्वारा किसी होल्डिंग अथवा उसके भाग के दाखिल खारिज करने के आदेश पारित करने के उपरांत आदेश के अनुरूप चालू खतियान, अभिधारी खाता पंजी एवं खेसरा पंजी में परिवर्तन करने हेतु विहित प्रपत्र में अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत पर्ची;
- (19) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित;
- (20) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित प्रपत्र;
- (21) "खेसरा पंजी" से अभिप्रेत है विहित प्रपत्र में संधारित पंजी जो राजस्व ग्राम के खेसरों के ब्यौरों के साथ उनके अभिधारियों को दर्शाती है;
- (22) "दाखिल खारिज याचिका पंजी" से अभिप्रेत है विहित प्रपत्र में संधारित पंजी जिसमें अंचल अधिकारी के समक्ष दायर की गयी दाखिल खारिज याचिकाएँ पंजीकृत की जाती हैं;
- (23) "दाखिल खारिज पंजी" से अभिप्रेत है विहित प्रपत्र में संधारित पंजी जिसमें अंचल अधिकारी द्वारा पारित किए गए दाखिल खारिज आदेश दर्ज किए जाते हैं;
- (24) "राजस्व ग्राम" से अभिप्रेत है राजस्व ग्राम के रूप में अधिसूचित कोई ग्राम जिसकी एक अलग राजस्व थाना संख्या हो;
- (25) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
- (26) "जमाबंदी" से अभिप्रेत है अभिधारी खाता पंजी में प्रत्येक अभिधारी को आवंटित पन्ना की संख्या जिसमें उनके अभिधृतियों के ब्यौरे के साथ ही साथ लगान एवं सेस की माँग एवं वसूली दर्ज की जाती है;
- (27) "लोक भूमि" से अभिप्रेत है कोई भूमि जिसे बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के अधीन लोक भूमि परिभाषित की गयी हो।

अध्याय—II

दाखिल खारिज याचिका को दायर करने की प्रक्रिया

3. **दाखिल खारिज हेतु याचिका दायर किया जाना।**—(1) कोई व्यक्ति किसी होल्डिंग या उसके भाग में किसी विधि/लिखत द्वारा हित अर्जित होने पर, उस हित के अर्जन के 90 दिनों के भीतर उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी के समक्ष जिसके क्षेत्राधिकार में वह होल्डिंग या उसका भाग अवस्थित हो, उस होल्डिंग या उसके भाग के सम्बन्ध में अपना नाम चालू खतियान, अभिधारी खाता पंजी तथा खेसरा पंजी में दाखिल खारिज करने हेतु विहित प्रपत्र में याचिका देगा।

(2) किसी होल्डिंग या उसके भाग में विक्रय, दान, विनिमय, बंटवारा द्वारा चाहे न्यायालय द्वारा अथवा अन्यथा निर्वसीयत उत्तराधिकार अथवा वसीयती, विल, सक्षम प्राधिकार द्वारा लोक भूमि की बन्दोबस्ती/अंतरण/समनुदेशन, भूदान यज्ञ समिति द्वारा भूमि के अनुदान, बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियम, 1947 के अधीन प्रदत्त अभिधृति अधिकार, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के अधीन दर रैयत के रूप में अधिभोगी अधिकार का अर्जन, भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन पूर्व रैयत को होल्डिंग या उसके भाग का प्रत्यावर्तन, वास भूमि रहित महादलित परिवारों के लिए रैयती भूमि की क्रय नीति, 2010 के अधीन क्रय की गयी वास भूमि, कोशी क्षेत्र (रैयतों को भूमि वापसी) अधिनियम, 1951 के अधीन पूर्व रैयत को होल्डिंग या उसके भाग का प्रत्यावर्तन, बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961

के अधीन अधिशेष भूमि की बंदोबस्ती, किसी न्यायालय के आदेश/डिक्री अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित अन्तरण का कोई अन्य उपाय/लिखत में हित अर्जित करने वाला कोई व्यक्ति, उस अंचल अधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में वह होल्डिंग अथवा उसका भाग अवस्थित है, के कार्यालय में या अंचल अधिकारी द्वारा उस क्षेत्र की दाखिल खारिज याचिकाओं को प्राप्त करने हेतु, आयोजित शिविर में विहित रीति से उस होल्डिंग या उसके भाग के संबंध में चालू खतियान, अभिधारी खाता पंजी तथा खेसरा पंजी में अपने नाम से दाखिल खारिज करने के लिए याचिका दे सकेगा।

(3) कार्यालय अथवा शिविर में दाखिल खारिज हेतु याचिका प्राप्त होने पर, अंचल अधिकारी याचिका कर्ता को विहित रीति से पावती रसीद देगा।

(4) अंचल अधिकारी प्रत्येक दाखिल खारिज याचिका को अंचल कार्यालय में संधारित दाखिल खारिज याचिका पंजी में उनकी प्राप्ति के क्रम में पंजीकृत कराएगा।

(5) अंचल अधिकारी प्रत्येक दाखिल खारिज याचिका के लिए विहित रीति से एक पृथक अभिलेख खुलवाएगा।

अध्याय – III

अंचल अधिकारी को अभिसूचित करने के लिए प्राधिकार

4. किसी होल्डिंग या उसके भाग में किसी व्यक्ति के हित के अर्जन के संबंध में अंचल अधिकारी को सूचित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी।—(1) क्रय-विक्रय, विनिमय, बंटवारा, दान अथवा अंतरण के किसी अन्य ढंग द्वारा किसी होल्डिंग या उसके भाग के अंतरण के लिखत के निबंधन के बाद, निबंधन प्राधिकारी निबंधित विलेख की छाया प्रति के साथ विहित प्रपत्र में उस निबंधन की सूचना उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में होल्डिंग या उसका भाग अवस्थित हो, को देगा।

(2) डिक्री प्राप्तकर्ता को डिक्री के निष्पादन में क्रेता को न्यायालय के निलामी/विक्रय में होल्डिंग या उसके भाग पर दखल दिए जाने या जब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 अथवा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के अधीन बंटवारा की अन्तिम डिक्री पारित होने के उपरांत यथास्थिति वह न्यायालय, जिसके द्वारा डिक्री का क्रियान्वयन किया गया हो अथवा वह न्यायालय, जिसके द्वारा बंटवारा हेतु अन्तिम डिक्री पारित की गयी हो, उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में होल्डिंग अथवा उसका भाग अवस्थित है, को विहित प्रपत्र में इस तथ्य की सूचना देगा।

(3) लोक भूमि की बन्दोबस्ती/अंतरण/समनुदेशन के संबंध में अन्तिम आदेश पारित करने वाला तथा बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 के अधीन अर्जित भूमि के वितरण, बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियम, 1947 के अधीन वासगीत का पर्चा देने, वास भूमि रहित महादलित परिवारों के लिए रैयती भूमि की क्रय नीति 2010 के अधीन महादलित परिवारों को वास भूमि देने, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के अधीन दर रैयत को अधिभोग अधिकार देने, कोशी क्षेत्र (रैयत को भूमि वापसी) अधिनियम, 1951 के अधीन पूर्व रैयत को भूमि प्रत्यावर्तित करने वाला प्राधिकारी उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अवस्थित हो, को उस आदेश की सूचना विहित प्रपत्र में देगा।

(4) बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 के अधीन भूमि अनुदान के संबंध में, बिहार भूदान यज्ञ समिति का सम्बन्धित अधिकारी उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अवस्थित हो, को विहित प्रपत्र में सूचना देगा।

(5) भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन भूमि के अर्जन के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी, उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अवस्थित हो, को इसकी विहित प्रपत्र में सूचना देगा।

(6) भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन पूर्व रैयत को भूमि प्रत्यावर्तित करने हेतु उत्तरदायी प्राधिकार उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अवस्थित हो, को इसकी सूचना विहित प्रपत्र में देगा।

(7) बंटवारा, निर्वसीयत या वसीयती उत्तराधिकार अथवा किसी अन्य उपाय/लिखत द्वारा किसी होल्डिंग या उसके भाग में हित के अर्जन के संबंध में, उस क्षेत्र का कर्मचारी विहित रीति से जानकारी प्राप्त करेगा तथा इसकी सूचना विहित प्रपत्र में अंचल अधिकारी को देगा।

(8) कोई व्यक्ति किसी होल्डिंग या उसके भाग में किसी उपाय/लिखत द्वारा हित अर्जित करता है तो वह उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी को, जिसके क्षेत्राधिकार में होल्डिंग या उसका भाग अवस्थित हो, होल्डिंग या उसके भाग में हित के अर्जन के संबंध में, हित अर्जन के 90 दिनों के भीतर, विहित रीति से सूचित करेगा।

अध्याय – IV

जाँच-पड़ताल और प्रतिवेदन

5. दाखिल खारिज मामलों में जाँच-पड़ताल और प्रतिवेदन।—(1) दाखिल खारिज की याचिका प्राप्त होने पर या होल्डिंग अथवा उसके भाग में हित अर्जन के सम्बन्ध में प्राधिकार द्वारा सूचित किए जाने पर या स्वप्रेरणा से यदि अंचल अधिकारी का सामाधान हो जाय कि होल्डिंग या उसके भाग में हित अर्जित हुआ है जो दाखिल खारिज होने के लिए पर्याप्त है, अंचल अधिकारी कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से विहित प्रपत्र में दाखिल खारिज याचिका के संबंध में विस्तृत जाँच प्रतिवेदन देने का आदेश देते हुए दाखिल खारिज की कार्यवाही प्रारंभ करेगा तथा उस आदेश को कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक को संसूचित करवाएगा।

(2) दाखिल खारिज याचिका के संबंध में जांच-प्रतिवेदन का आदेश प्राप्त होने पर, कर्मचारी विहित रीति से जांच-पड़ताल करेगा तथा अंचल निरीक्षक को विहित प्रपत्र में जांच-प्रतिवेदन समर्पित करेगा।

(3) कर्मचारी से जांच-प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अंचल निरीक्षक कर्मचारी के जांच-प्रतिवेदन की सत्यता का परीक्षण करेगा तथा अपना निष्कर्ष एवं अनुशंसा विहित रीति से अभिलिखित करेगा।

(4) अंचल निरीक्षक विहित प्रपत्र में अपने निष्कर्ष एवं अनुशंसा के साथ कर्मचारी का जांच-प्रतिवेदन अंचल अधिकारी को प्रेषित करेगा।

(5) यदि अंचल अधिकारी कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक की जांच-पड़ताल से संतुष्ट नहीं हो तो उस रीति से, जिसे वह उचित समझे, वह स्वयं जांच कर सकेगा तथा अपना निष्कर्ष विहित रीति से अभिलिखित करेगा।

अध्याय-V निपटारा

6. दाखिल खारिज मामलों का निपटारा।—(1) अंचल अधिकारी, कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से दाखिल खारिज याचिका के संबंध में जांच-प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, विहित रीति से अथवा इस अधिनियम की धारा-5 (5) के अधीन स्वयं अपने द्वारा जाँचोपरान्त, उन व्यक्तियों, जिनका होल्डिंग या उसके भाग में हित निहित हो, के साथ-साथ जन साधारण से विहित रीति से आपत्ति आमंत्रित करने के उपरांत दाखिल खारिज मामलों का या तो -

(क) अपने कार्यालय में होने वाले नियमित दाखिल खारिज न्यायालय में, अथवा

(ख) उस क्षेत्र के दाखिल खारिज मामलों के निपटारा हेतु जिस क्षेत्र में होल्डिंग अथवा उसका भाग अवस्थित हो, आयोजित शिविर न्यायालयों में निपटारा करेगा।

(2) आपत्ति की प्राप्ति के उपरांत, अंचल अधिकारी संबंधित पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने हेतु युक्तियुक्त अवसर देगा तथा आपत्ति का निपटारा करेगा एवं जैसा वह उचित समझे वैसा आदेश पारित करेगा।

(3) जिन मामलों में आपत्ति दायर करने की अन्तिम तिथि की समाप्ति के उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, उनमें अंचल अधिकारी, जैसा उचित समझे, वैसा आदेश पारित कर उनका निपटारा करेगा।

(4) जिन मामलों में आपत्तियाँ प्राप्त होती हैं, उनमें पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(5) दाखिल खारिज याचिका को अस्वीकृत किए जाने की स्थिति में, अंचल अधिकारी आदेश फलक में उन आधारों को अभिलिखित करेगा जिनके आधार पर उसे अस्वीकृत किया गया हो तथा याचिका कर्ता को, उन आधारों का, जिन पर याचिका अस्वीकृत की गयी हो, संक्षिप्त विवरण देते हुए, विहित रीति से, सूचित करेगा।

(6) जिन मामलों में दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाती है उनमें अंचल अधिकारी अपने दाखिल खारिज आदेश को कार्यान्वित करने हेतु विहित प्रपत्र में शुद्धि-पत्र निर्गत करेगा तथा याचिका कर्ता को विहित रीति से सूचित करेगा।

(7) कर्मचारी, उस राजस्व ग्राम को, जिसमें होल्डिंग अथवा उसका भाग अवस्थित हो, चालू खतियान, अभिधारी खाता पंजी तथा खेसरा पंजी में, शुद्धि-पत्र में परिवर्तन हेतु दिए गए आदेश को दर्शाते हुए प्रविष्टियों में परिवर्तन करेगा।

(8) अभिधारी खाता पंजी की प्रविष्टियों में किए गए परिवर्तन के आधार पर कर्मचारी संबंधित जमाबंदी में वार्षिक लगान एवं सेस की मांग में परिवर्तन करेगा।

(9) क्रय-विक्रय, दान अथवा विनिमय के द्वारा अंतरण के आधार पर दाखिल खारिज का दावा स्वीकृत नहीं किया जाएगा जबतक वह निबंधित न हो।

(10) विल के आधार पर दाखिल खारिज का दावा स्वीकृत नहीं किया जाएगा जबतक सक्षम न्यायालय द्वारा विल का प्रोबेट सम्यक् रूप से विनिश्चित न किया गया हो।

(11) न्यायालय अथवा निबंधित विलेख से अन्यथा, बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज का दावा स्वीकृत नहीं किया जाएगा जबतक सभी हिस्सेदारों की, बंटवारा के लिए, सहमति न हो।

(12) होल्डिंग या उसके भाग के दाखिल खारिज के वैसे मामलों में स्वीकृति नहीं दी जाएगी जिनमें होल्डिंग या उसके भाग के संबंध में, सक्षम न्यायालय में स्वत्ववाद लंबित हो।

(13) होल्डिंग या उसके भाग के वैसे मामलों में दाखिल खारिज की स्वीकृति नहीं दी जाएगी जिनमें होल्डिंग या उसके भाग में हित अर्जन करने वाले का उस होल्डिंग या उसके भाग पर भौतिक रूप से दखल न हो।

अध्याय—VI अपील एवं पुनरीक्षण

7. **अपील**।—(1) अंचल अधिकारी के आदेश के विरुद्ध, आदेश की तारीख के 30 दिनों के भीतर, भूमि सुधार उप-समाहर्ता के समक्ष अपील की जाएगी।

(2) भूमि सुधार उप-समाहर्ता को यदि समाधान हो जाय कि विलम्ब होने के समुचित कारण हैं तो वह अपील दायर होने में हुए विलम्ब को क्षांत कर सकता है।

(3) भूमि सुधार उप-समाहर्ता द्वारा जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो उसे उपान्तरित, परिवर्तित या अपास्त करने वाला कोई आदेश तबतक नहीं दिया जाएगा जबतक सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(4) दाखिल खारिज अपील के निपटारा की समय सीमा दाखिल खारिज अपील दायर करने की तिथि से तीस (30) कार्य-दिवस होगी।

8. **पुनरीक्षण**।—(1) इस अधिनियम के अधीन समाहर्ता/अपर समाहर्ता अपने पास आवेदन दिए जाने पर या इस अधिनियम या इसके अधीन बनी नियमावली के अधीन किसी प्राधिकारी या पदाधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के लिए ऐसे प्राधिकारी या पदाधिकारी के समक्ष विचाराधीन या निपटाए गए किसी मामले के अभिलेखों की मांग और परीक्षा कर सकेगा और, जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित कर सकेगा।

(2) भूमि सुधार उप समाहर्ता के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश के 30 दिनों के भीतर समाहर्ता/अपर समाहर्ता के समक्ष पुनरीक्षण हेतु आवेदन दायर कर सकेगा।

(3) समाहर्ता/अपर समाहर्ता को यदि समाधान हो जाय कि विलम्ब के समुचित कारण हैं तो वह आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हेतु आवेदन दायर करने में हुए विलम्ब को क्षांत कर सकेगा।

(4) समाहर्ता/अपर समाहर्ता किसी प्राधिकारी या पदाधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश को उपान्तरित, परिवर्तित या अपास्त करने का आदेश तबतक पारित नहीं करेगा जबतक कि संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(5) दाखिल खारिज पुनरीक्षण आवेदन के निपटारा की समय-सीमा पुनरीक्षण के लिए आवेदन की प्राप्ति की तिथि से तीस (30) कार्य-दिवस होगी।

अध्याय—VII जमाबन्दी का रद्दीकरण

9. **जमाबन्दी का रद्दीकरण**।—(1) अपर समाहर्ता को, स्वप्रेरणा से अथवा आवेदन पर, किसी जमाबन्दी जो वर्तमान में लागू किसी विधि के उल्लंघन में अथवा इस निमित्त किसी कार्यपालक निर्देश के अतिलंघन में सृजित की गयी हो, के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने की शक्ति होगी। अपर समाहर्ता, जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अवस्थित हो; सम्बन्धित पक्षकारों को उपस्थित होने, साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त, वैसी जमाबन्दी रद्द करने, उसके अन्तर्गत दावा करने वाले व्यक्ति को बेदखल तथा उन शर्तों पर, जो अपर समाहर्ता को उचित एवं न्यायपूर्ण प्रतीत होता हो, वैध स्वामी/अभिरक्षक को दखल सौंप सकेगा।

(2) जमाबन्दी में हित रखने वाले पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना उप-धारा (1) के अधीन जमाबन्दी रद्द नहीं की जाएगी।

(3) कोई व्यक्ति, जिसका किसी जमाबन्दी की भूमि अथवा उसके भाग में हित हो, उस अपर समाहर्ता, जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अथवा उसका भाग अवस्थित हो, के समक्ष जमाबन्दी के रद्दीकरण हेतु याचिका दायर कर सकेगा।

(4) जमाबन्दी रद्द करने हेतु दायर याचिका अथवा सरकारी विभाग, जिसका उस भूमि अथवा उसके भाग में हित निहित हो, के निर्देश अथवा स्वप्रेरणा से, अपर समाहर्ता, जिसके क्षेत्र में भूमि अथवा उसका भाग अवस्थित हो, जमाबन्दी में हित रखने वाले व्यक्तियों को सूचना निर्गत करते हुए जमाबन्दी के रद्दीकरण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेगा।

(5) अपर समाहर्ता, जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अथवा उसका भाग अवस्थित हो, स्वयं अपने अथवा अपने द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी पदाधिकारी द्वारा जाँच के उपरांत, जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित करेगा।

(6)(क) अपर समाहर्ता के आदेश के विरुद्ध अपील जिला के समाहर्ता के समक्ष, उस आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, 30 दिनों के भीतर संस्थित होगी।

(ख) जिला के समाहर्ता को यदि समाधान हो जाय कि विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण हैं तो अपील दायर होने में हुए विलम्ब को क्षांत कर सकेगा।

(ग) जिला के समाहर्ता द्वारा, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसे उपान्तरित, परिवर्तित या अपास्त करने वाला कोई आदेश तबतक नहीं किया जाएगा जबतक कि सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

- (7)(क) जिला के समाहर्ता के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश के 30 दिनों के भीतर प्रमण्डल के आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण हेतु आवेदन दायर कर सकेगा।
- (ख) प्रमण्डलीय आयुक्त को यदि समाधान हो जाय कि विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण हैं तो पुनरीक्षण हेतु आवेदन दायर करने में हुए विलम्ब को क्षांत कर सकेगा।
- (ग) प्रमण्डलीय आयुक्त, अपने पास आवेदन दिए जाने पर या इस अधिनियम या इसके अधीन बनी नियमावली के अधीन किसी प्राधिकार या पदाधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिए ऐसे प्राधिकार या पदाधिकारी के समक्ष विचाराधीन या निपटाए गए किसी मामले के अभिलेखों की माँग और परीक्षा कर सकेगा और, जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित कर सकेगा।
- (घ) प्रमण्डलीय आयुक्त किसी प्राधिकारी या पदाधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश को उपान्तरित, परिवर्तित या अपास्त करने का आदेश तबतक पारित नहीं करेगा जबतक कि सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

अध्याय—VIII

खाता पुस्तिका का निर्माण

10. खाता पुस्तिका का निर्माण एवं फीस लेकर अभिधारियों को उसकी आपूर्ति।— (1) यथाविहित रीति से किसी राजस्व ग्राम में अभिधारी की अभिधृति की एक खाता पुस्तिका तैयार की जाएगी तथा यथाविहित फीस के भुगतान तथा समय सीमा के अन्तर्गत, जिसके क्षेत्राधिकार में अभिधृति अवस्थित है, के अंचलाधिकारी के द्वारा सम्बन्धित अभिधारी को उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) खाता पुस्तिका में निम्नलिखित विवरण होंगे—

- (i) अभिधारी द्वारा धारित भूमि के संदर्भ में चालू खतियान तथा अभिधारी खाता पंजी का सुसंगत उद्धरण,
- (ii) लगान तथा सेस की माँग और वसूली,
- (iii) सरकार अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया गया ऋण एवं उसका वापसी—भुगतान।

(3) खाता पुस्तिका, भूमि के प्रत्येक दाखिल—खारिज के बाद, यथाविहित रीति से अद्यतनीकरण के लिए अभिधारी के द्वारा सम्बन्धित अंचलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

अध्याय—IX

विविध

11. संक्षिप्त कार्यवाही।—इस अधिनियम के अधीन सारी कार्यवाहियाँ संक्षिप्त कार्यवाहियाँ होंगी।

12. नियमित दाखिल खारिज न्यायालय में दाखिल खारिज मामलों के निपटारे की समय—सीमा।—(1) नियमित दाखिल खारिज न्यायालय में दाखिल खारिज मामलों, जिसमें कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हो, के निपटारे की समय—सीमा दाखिल—खारिज याचिका की प्राप्ति की तिथि से इक्कीस (21) कार्य—दिवस, अठारह (18) कार्य—दिवस आदेश पारित करने के लिए एवं तीन (03) कार्य—दिवस शुद्धि पत्र निर्गत करने के लिए, की होगी।

(2) नियमित दाखिल खारिज न्यायालय में दाखिल खारिज वादों, जिनमें आपत्तियाँ प्राप्त हुई हों, के निपटारे की समय—सीमा दाखिल खारिज याचिका की प्राप्ति की तिथि से तैंतीस (33) कार्य—दिवस, तीस (30) कार्य—दिवस आदेश पारित करने के लिए एवं तीन (03) कार्य—दिवस शुद्धि पत्र निर्गत करने के लिए, की होगी।

13. शिविर न्यायालय में दाखिल खारिज मामलों के निपटारे की समय—सीमा।— (1) शिविर न्यायालय में दाखिल खारिज मामलों, जिनमें कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हो, के निपटारे की समय—सीमा दाखिल खारिज याचिका की प्राप्ति की तिथि से अठारह (18) कार्य—दिवस, पन्द्रह (15) कार्य—दिवस आदेश पारित करने के लिए एवं तीन (03) कार्य—दिवस शुद्धि—पत्र निर्गत करने के लिए, की होगी।

(2) शिविर न्यायालय में दाखिल खारिज याचिकाओं, जिनमें आपत्तियाँ प्राप्त हुई हों, के निपटारे की समय—सीमा दाखिल खारिज याचिका की प्राप्ति की तिथि से तैंतीस (33) कार्य—दिवस, तीस (30) कार्य—दिवस आदेश पारित करने के लिए एवं (03) कार्य—दिवस शुद्धि—पत्र निर्गत करने के लिए, की होगी।

14. दाखिल खारिज याचिकाओं के निपटारे में हुए विलम्ब के कारणों को अभिलिखित करना।—वैसे मामलों में, जिनमें पूर्वगामी धाराओं में उपबन्धित समय—सीमा के अन्तर्गत दाखिल खारिज याचिकाओं का निपटारा नहीं किया गया है, अंचल अधिकारी विलम्ब के कारणों को आदेश—फलक में अभिलिखित करेगा जो जिला समाहर्ता के द्वारा विहित रीति से संवीक्षा के अधीन होगा।

15. निपटारे में विलम्ब हेतु उत्तरदायित्व।—दाखिल खारिज मामलों के निपटारे में विलम्ब का दायित्व सम्बन्धित पदाधिकारी पर होगा जिसके कारण वह विलम्ब हुआ हो।

16. प्राधिकारों को व्यवहार न्यायालय की शक्ति।—इस अधिनियम के अध्याधीन, समाहर्ता, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप—समाहर्ता तथा अंचल अधिकारी को साक्ष्य ग्रहण करने, किसी व्यक्ति को सम्मन करने और हाजिर कराने तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करने, दस्तावेजों को पेश करने के लिए बाध्य करने एवं खर्चा दिलवाने के मामलों में वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित हों।

17. **न्यायालय फीस**।—इस अधिनियम के अधीन दायर की गयी प्रत्येक याचिका, अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण के आवेदन पर यथा विहित मूल्य का न्यायालय फीस स्टाम्प लगा रहेगा।

18. **प्रमाणित प्रतिलिपियाँ और जानकारी**।—राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, इस निमित्त, यथाविहित नियमों के अधीन और फीस के भुगतान करने पर, आदेश फलक, शुद्धि-पत्र, चालू खतियान तथा अभिधारी-खाता-पंजी से जानकारी और प्रमाणित उद्धरण तथा उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि, विहित प्रपत्र में आवेदन करने वाले व्यक्तियों को दी जाएगी।

19. **निदेश, नियंत्रण तथा अधीक्षण**।—अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप-समाहर्ता तथा अपर समाहर्ता, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के अनुपालन तथा शक्तियों के प्रयोग में, जिला समाहर्ता के सामान्य निदेश, नियंत्रण तथा अधीक्षण के अधीन होंगे।

20. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति**।—राज्य सरकार, परिस्थिति के अनुसार, आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, ऐसा कोई कार्य कर सकेगी या करने का निदेश दे सकेगी ताकि अधिनियम को लागू करने में होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

21. **अधिनियम का अन्य विधियों पर अभिभावी नहीं होना**।—इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी उपबन्ध के अल्पीकरण में न होकर उसके अतिरिक्त होंगे।

22. **सरकार को नियम बनाने की शक्ति**।—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किसी एक प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे नियम बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों।

(2) इस धारा के अधीन बना प्रत्येक नियम, बनने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन, में जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिनों की कालावधि तक, जो एक सत्र में समाविष्ट हो या दो उत्तरवर्ती सत्रों में, रखा जाएगा और यदि जिस सत्र में रखा जाय, उस सत्र के या ठीक पश्चात्वर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई उपांतरण करने पर सहमत हों अथवा दोनों सदन सहमत हों कि नियम बनाया ही न जाय, तो तदुपरांत नियम, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी या निष्प्रभावी होगा, किन्तु ऐसा उपांतरण या बातिलिकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किए गए किसी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

23. **निरसन और व्यावृत्ति**।—(1) बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973 (बिहार अधिनियम, 28, 1975) को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन अथवा के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी मानी जाएगी, मानों उस दिन यह अधिनियम प्रवृत्त था।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

22 दिसम्बर 2011

सं० एल०जी०-1-24/2011/246/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर 2011 को अनुमत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 23, 2011]

The Bihar Land Mutation ACT, 2011

AN
ACT

Preamble :- to provide for regulating the process of mutation of land and making it concomitant with the needs of present time.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty second year of the Republic of India as follows :-

CHAPTER -I
Preliminary

1. *Short Title, Extent and Commencement.*— (1) This Act may be called The Bihar Land Mutation Act, 2011.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as notified by the Government in the Bihar Gazette.

2. *Definitions.*— In this Act, unless there be anything repugnant to the subject or context:-

(1) "Mutation" means alteration in the entries in the Continuous Khatian, Tenants' Ledger and Khesra Register on account of transfer of right of a person in a holding or a part thereof by way of any of the following means/instruments :-

- (a) Sale-Purchase, gift,
- (b) Exchange,
- (c) Partition of Holding,
- (d) Inheritance/ succession intestate or testamentary,
- (e) Will,
- (f) Order/Decree of court under Code of Civil Procedure, 1908,
- (g) Order/Decree of court under The Bihar Land Disputes Resolution Act, 2009,
- (h) Settlement/ Transfer/Assignment of Public Land by competent authority,
- (i) Acquisition under the Land Acquisition Act, 1894,
- (j) Land granted under the Bihar Bhoodan Yagna Act, 1954,
- (k) Settlement of Homestead under the Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, 1947,
- (l) Tripartite purchase of raiyati land for Mahadalit families under Purchase Policy, 2010,
- (m) Restoration of land to former raiyats under the Kosi Area (Restoration of Lands to Raiyats) Act, 1951,
- (n) Restoration of land to former raiyats under the Land Acquisition Act, 1894,
- (o) Settlement of surplus land under the Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961, or
- (p) Through any other means/ instrument which the Government may notify from time to time.

(2) "Record of Rights" means the latest Record of Rights as finally published under chapter X of the Bihar Tenancy Act, 1885.

(3) "Continuous Khatian" means updated Record of Rights being maintained in the prescribed form reflecting changes in the rights of a person in a holding or a part thereof since the last finally published Record of Rights.

(4) "Tenants' Ledger Register" means a revenue village-wise Register being maintained in the prescribed form showing details of land held by different tenants of that revenue village and yearly demand of rent and cess on account of land held by them as well as rent and cess yearly realised from them.

(5) "Competent Authority" means any authority authorised to settle/transfer/ assign public land under the Acts/Rules/ Manuals concerned.

(6) "Circle Officer" means an officer appointed as such by the Government or any other officer notified by the Government to discharge all or any of the functions of a Circle Officer under this Act.

(7) "Land Reforms Deputy Collector" means an officer appointed as such by the Government or any other officer notified by the Government to discharge all or any of the functions of a Land Reforms Deputy Collector under this Act.

(8) "Collector" means the Collector of the District.

- (9) "Additional Collector" means Additional Collector of the District or any other officer notified by the Government to discharge all or any of the functions of an Additional Collector under this Act.
- (10) "Karmachari" means an employee appointed as such by the Collector of the District or any other employee notified by the Collector to discharge all or any of the functions of a Karmachari of a Halka under this Act.
- (11) "Circle Inspector" means an officer appointed as such by the Government or any other officer notified by the Government to discharge all or any of the functions of a Circle Inspector of a Circle under this Act.
- (12) "Halka" means the smallest administrative unit of the revenue administration under the administrative control of a Karmachari.
- (13) "Tenant" connotes the same meaning as assigned to it by the Bihar Tenancy Act, 1885.
- (14) "Holding" means a parcel or parcels of land held by a raiyat and forming subject of a separate tenancy.
- (15) "Raiyat" connotes the same meaning as assigned to it by the Bihar Tenancy Act, 1885.
- (16) "Registered" means a document registered under the Indian Registration Act, 1908.
- (17) "Registering Authority" means a registering authority under the Indian Registration Act, 1908.
- (18) "Correction Slip" means a slip issued in the prescribed form by the Circle Officer after the delivery of the order for mutation of a holding or a part thereof by him for effecting changes as per the order in the Continuous Khatian, Tenants Ledger Register and Khesra Register.
- (19) "Prescribed" means prescribed by Rules made under this Act.
- (20) "Form" means a form prescribed by Rules made under this Act.
- (21) "Khesra Register" means a register being maintained in the prescribed form showing details of plots along with their tenants of a revenue village.
- (22) "Mutation Petition Register" means a register being maintained in a prescribed form in which petitions for mutation filed before the Circle Officer are registered.
- (23) "Mutation Register" means a register being maintained in a prescribed form in which orders for mutation made by the Circle Officer are entered.
- (24) "Revenue village" means a village notified as a revenue village having a separate Revenue Thana number.
- (25) "Government" means the Government of Bihar.
- (26) "Jamabandi" means a number showing the page allotted to all tenants in Tenants Ledger Register where entries of details of their tenancies as well as demand and collection of rent and cess are made.
- (27) "Public Land" means any land defined as public land under The Bihar Public Land Encroachment Act, 1954

CHAPTER- II

Process of filing Mutation Petitions

3. *Filing of petition for mutation.*—(1) A person acquiring interest in a holding or a part thereof by any means/instrument, shall, within 90 days of the acquisition of such interest, file petition in prescribed form before the Circle Officer of the area in whose jurisdiction the holding or a part thereof is situated for mutation of his name in respect of the holding or a part thereof in the Continuous Khatian, Tenants' Ledger Register and Khesra Register.

(2) Any person acquiring any interest in any holding or a part thereof by sale, gift, exchange, partition, whether by court or otherwise, succession intestate or testamentary, will, settlement / transfer/assignment of public land by Competent Authority, grant of land by the Bhoodan Yajna Samiti, conferment of tenancy rights under the Bihar Privileged Persons' Homestead Tenancy Act, 1947, acquisition of occupancy rights as under raiyat-under the Bihar

Tenancy Act 1885, restoration of holding or part thereof to a former raiyat under the Land Acquisition Act, 1894, house-sites purchased under Policy for Purchase of Raiyati land for house-siteless Mahadalit families 2010, restoration of holding or a part thereof to former raiyats under the Kosi Area (Restoration of Land to Raiyat) Act, 1951, settlement of surplus land under the Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961, an order/decreed of any court or any other means/instrument of transfer notified by the Government, may file a petition in the prescribed manner for mutation of his name in respect of that holding or a part thereof in the Continuous Khatian, Tenants' Ledger Register and Khesra Register in the office of the Circle Officer in whose jurisdiction the holding or a part thereof is situated or in a camp organized by the Circle Officer for the receipt of mutation petitions of that area.

(3) On receipt of petition for mutation either in the office or in the camp, the Circle Officer shall grant a receipt in a prescribed manner to the petitioner as an acknowledgement.

(4) The Circle Officer shall cause each mutation petition to be registered in order of their receipt in the Mutation Petition Register being maintained in the Circle Office.

(5) The Circle Officer shall cause to open a separate case record in the prescribed manner for each mutation petition.

CHAPTER - III

Authority to intimate the Circle Officer

4. *Authority responsible for intimation to the Circle Officer regarding acquisition of interest of any person in any holding or a part thereof.*—(1) After the registration of any instrument of transfer by way of sale-purchase exchange, partition, gift, or by any other mode of transfer of a holding or a part thereof is complete, the Registering Authority shall give notice of such registration in prescribed form along with a photo copy of the registered deed to the Circle Officer of the area in whose jurisdiction the holding or a part thereof is situated.

(2) After the possession of a holding or a part thereof has been delivered in the execution of a decree to the decree holder or to a purchaser at court auction/ sale or when a final decree for partition has been passed under the Code of Civil Procedure, 1908 or the Bihar Land Disputes Resolution Act, 2009, the court executing the decree or the court passing the final decree for partition, as the case may be, shall give notice of the fact in the prescribed form to the Circle Officer of the area in whose jurisdiction the holding or a part thereof is situated.

(3) Authorities, passing the final order regarding settlement/transfer/ assignment of public land, distribution of land acquired under the Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961, Parcha of house-sites to the privileged persons under the Bihar Privileged Persons' Homestead Tenancy Act, 1947, land for house sites given to the Mahadalit families under policy for purchase of raiyati land for house-siteless Mahadalit families, 2010, grant of occupancy rights to under raiyats under the Bihar Tenancy Act, 1885, restoration of land to former raiyats under the Kosi (Restoration of land to Raiyats) Act, 1951, shall give notice of such order in prescribed form to the Circle Officer of the area in whose jurisdiction the land is situated.

(4) The officer concerned of the Bhoodan Yajna Samiti shall give notice in the prescribed form in respect of the land granted by it under the Bihar Bhoodan Yajna Act, 1954 to the Circle Officer of the area in whose jurisdiction the land is situated.

(5) Authorities, responsible for the acquisition of land under the Land Acquisition Act, 1894, shall give notice to this effect in the prescribed form to the circle officer of the area in whose jurisdiction the land is situated

(6) Authorities responsible for the restoration of land to former raiyats under the Land Acquisition Act, 1894, shall give notice to this effect in the prescribed form to the Circle Officer of the area in whose jurisdiction the land is situated.

(7) The Karmachari of the area shall obtain information in the prescribed manner and intimate in the prescribed form to the Circle Officer about cases of partition, intestate or testamentary succession or acquisition of interest by any other means or instrument in a holding or a part thereof.

(8) Any person acquiring interest in a holding or a part thereof by any means/instrument shall intimate regarding acquisition of such interest in the holding or a part thereof to the Circle Officer of the area in whose jurisdiction the holding or a part thereof is situated, within 90 days of the acquisition of such interest in the prescribed manner.

CHAPTER - IV **Enquiry and Report**

5. *Enquiry and Report in Mutation Cases.*— (1) On receipt of petitions for mutation or intimation by authorities about the acquisition of interest in a holding or a part thereof or suo motu if the Circle officer is convinced that there is an acquisition of interest in a holding or a part thereof sufficient to cause for mutation, the Circle Officer shall initiate a mutation proceeding by giving an order for a detailed enquiry report in the prescribed form with regard to the mutation petition from the Karmachari and the Circle Inspector and shall cause the order to be communicated to the Karmachari and Circle Inspector.

(2) On receipt of the order for enquiry with regard to the mutation petition, the Karmachari shall enquire in the prescribed manner and shall submit the report of the enquiry in the prescribed form to the Circle Inspector.

(3) On receipt of enquiry report from the Karmachari, the Circle Inspector shall examine the veracity of the enquiry report of the Karmachari and shall record his findings in the prescribed manner along with his recommendations.

(4) The Circle Inspector shall submit the enquiry report of the Karmachari along with his own findings and recommendation in the prescribed form to the Circle Officer.

(5) In case the Circle Officer is not satisfied with the enquiry report of the Karmachari and Circle Inspector, he may enquire it himself in any manner as he deems fit and shall record his findings in the prescribed manner.

CHAPTER - V **Disposal**

6. *Disposal of Mutation cases.*— (1) The Circle Officer, on receipt of enquiry report from Karmachari and Circle Inspector in respect of the mutation petition or upon his own enquiry under section 5(5) of this Act, shall dispose of the mutation case in the prescribed manner after inviting objections in the manner prescribed, from persons having interest in the holding or a part thereof as well as general public either in a-

- (a) Regular mutation court held in his office, or
- (b) In camp courts organized for the disposal of mutation cases of the area where the holding or a part thereof is situated.

(2) On receipt of an objection, the Circle Officer shall give reasonable opportunity to the parties concerned to adduce evidence, if any, and of being heard and shall dispose of the objection and pass such order as he deems fit .

(3) Cases in which no objection has been received after the expiry of the last date of filing objections, the Circle Officer shall dispose them of by passing such order as he deems fit.

(4) Cases in which objections have been received, no order shall be passed unless the parties have been given reasonable opportunity of being heard.

(5) In case of rejection of a mutation petition, the Circle Officer shall record in the order-sheet the grounds on which it has been rejected and shall intimate the petitioner in the prescribed manner giving a brief account of the grounds on which the petition has been rejected.

(6) Cases in which mutations have been allowed, the Circle Officer shall issue correction slips to give effect to his orders for mutation in the prescribed form and intimate the petitioners in manner prescribed.

(7) The Karmachari shall alter the entries in the Continuous Khatiyan, Tenants' Ledger Register and Khesra Register of the Revenue village in which the holding or a part thereof is situated reflecting the order for alteration given in the correction slip.

(8) On the basis of the alteration effected in the entries of the Tenants' Ledger' Register the Karmachari shall alter the yearly demand of rent and cess of the concerning jamabandi.

(9) Mutation claimed on the basis of transfer through sale-purchase, gift or exchange, shall not be allowed unless it is registered.

(10) Mutation claimed on the basis of will, shall not be allowed unless probate of the will has been duly decided by the competent court.

(11) Mutation claimed on the basis of partition other than by the court or registered deed, shall not be allowed unless there is consent for partition by all co-sharers.

(12) Mutation of a holding or a part thereof shall not be allowed in cases in which Title Suit with regard to that holding or a part thereof is pending in the competent court.

(13) Mutation of a holding or a part thereof shall not be allowed in cases in which acquirer of an interest in the holding or part thereof does not have physical possession over that holding or a part thereof.

CHAPTER - VI

Appeal and Revision

7. *Appeal.*—(1) An Appeal against the order of the Circle officer shall lie with the Land Reforms Deputy Collector within thirty (30) days from the date of the order appealed against.

(2) The Land Reforms Deputy Collector may condone the delay in filing appeals provided he is satisfied that there are sufficient reasons for the delay.

(3) The Land Reforms Deputy Collector shall not pass any order modifying, altering or setting aside the order appealed against unless the concerned parties concerned have been given a reasonable opportunity of being heard.

(4) The time limit for the disposal of a mutation appeal shall be thirty (30) working days from the date of the filing of the mutation appeal.

8. *Revision.*—(1) The Collector/ Additional Collector of the district under this Act may, on an application made to him on this behalf or for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of any order made under this Act or the rules made thereunder by any officer or authority, call for and examine the records of any case pending before or disposed of by such officer or authority and pass such order as he deems fit.

(2) An application for revision may be filed before the Collector/Additional Collector of the District by any person aggrieved by any order of the Land Reforms Deputy Collector within 30 days from the date of such order.

(3) The Collector/Additional Collector may condone the delay in filing the application for revision against an order provided he is satisfied that there are sufficient reasons for the delay.

(4) The Collector/Additional Collector shall not pass any order modifying, altering or setting aside an order of any authority or officer unless the concerned parties have been given a reasonable opportunity of being heard.

(5) The time limit for the disposal of a mutation revision application shall be thirty (30) working days from the date of receipt of the application for revision.

CHAPTER - VII

Cancellation of Jamabandi

9. *Cancellation of Jamabandi.*—(1) The Additional Collector, either suo motu or on an application, shall have the power to make inquiries in respect of any Jamabandi, which has been created in violation of any law for the time being in force or in contravention of any executive instruction issued in this behalf. The Additional Collector, in whose jurisdiction the land is situated, may, after giving reasonable opportunity to the parties concerned to appear, adduce evidence and be heard, cancel such Jamabandi, dispossess the person claiming under it and deliver the possession to the legitimate owner/custodian, on such terms as may appear to the Additional Collector to be fair and equitable.

(2) The jamabandi shall not be cancelled under sub-section (1) without giving reasonable opportunity to the parties, having interest in that jamabandi, of being heard.

(3) Any person, having interest in a land or a part thereof, of any jamabandi may file a petition in the prescribed manner for the cancellation of the jamabandi before the Additional Collector in whose jurisdiction the land or a part thereof is situated.

(4) The Additional Collector, in whose jurisdiction the land or a part thereof of the jamabandi is situated, on a petition filed for the cancellation of the jamabandi or on reference from a Government Department which has an interest in the land or a part thereof or suo motu, may initiate proceedings for cancellation of the jamabandi by issuing notice to persons having interest in the jamabandi.

(5) The Additional Collector in whose jurisdiction the land or a part thereof in the jamabandi is situated, after enquiry either by himself or by an officer authorized by him in this behalf, shall pass such order as he deems fit.

(6)(a) An Appeal against the order of the Additional Collector shall lie with the Collector of the district within thirty (30) days of the order appealed against.

(b) The Collector of the district may condone the delay in filing appeals provided he is satisfied that there are sufficient reasons for the delay.

(c) The Collector of the district shall not pass any order modifying, altering or setting aside the order appealed against unless the concerned parties have been given a reasonable opportunity of being heard.

(7)(a) An application for revision may be filed before the Commissioner of the Division by any person aggrieved by an order of the Collector of the district within 30 days from the date of such order.

(b) The Divisional Commissioner may condone the delay in filing of application for revision provided he is satisfied that there are sufficient reasons for the delay.

(c) The Divisional Commissioner may on an application made to him on this behalf or for the purposes of satisfying himself as to the legality or propriety of any order made under this Act or the rules made thereunder by an officer or authority, call for and examine the records of any case pending before or disposed of by such officer or authority and pass such order as he deems fit.

(d) The Divisional Commissioner shall not pass any order modifying, altering or setting aside an order of any authority or officer unless the concerned parties have been given reasonable opportunity of being heard.

CHAPTER - VIII

Preparation of Khata Pustika

10. *Preparation of Khata Pustika and its supply to tenants on payment of fees .—*(1) A Khata Pustika shall be prepared in respect of a tenant's holding in a revenue village in the prescribed manner , and shall be provided to the tenant concerned by the Anchal Adhikari in whose jurisdiction the holding is situated, on payment of such fee and within such time limit as may be prescribed.

(2) The Khata Pustika shall contain the following particulars-

(i) relevant extracts of the Continuous Khatian and the Tenant's Ledger Register in respect of the lands held by the tenant,

(ii) demand and realisation of rent and cesses,

(iii) loans advanced by Government or other financial institutions together with repayment made.

(3) The Khata Pustika shall be presented by the tenant before the Anchal Adhikari concerned, after every mutation of land, for updation, in the prescribed manner.

CHAPTER - IX
Miscellaneous

11. *Summary proceeding.*—All proceedings under this Act shall be summary proceedings.

12. *Time-Limit for Disposal of mutation cases in regular mutation courts.*— (1) The time limit for disposal of mutation cases, in which no objection has been received, in a regular mutation Court, shall be twenty-one (21) working days from the date of receipt of the mutation petition, eighteen (18) working days for passing the order and three (03) working days to issue the correction slip.

(2) The time limit for the disposal of mutation cases, in which objections have been received, in a regular mutation court shall be thirty-three (33) working days from the date of receipt of the mutation petition, thirty (30) working days for passing the order and three (03) working days to issue the correction slip.

13. *Time limit for Disposal of mutation Cases in Camp court .*— (1) The time limit for disposal of mutation cases, in which no objection has been received, in a camp Court shall be eighteen (18) working days from the date of receipt of the mutation petition, fifteen (15) working days for passing the order and three (03) working days to issue the correction slip.

(2) The time limit for the disposal of mutation cases, in which objections have been received, in a camp court, shall be thirty-three (33) working days from the date of receipt of the mutation petition in the camp court, thirty (30) working days for passing the order and three (03) working days to issue the correction slip.

14. *Reasons to be recorded for delay in disposal of mutation petitions.*—In cases where mutation petitions have not been disposed of within the time limit provided under the foregoing sections, the Circle Officer shall record reasons for the delay in the order-sheet of the case-record which will be subject to scrutiny by the Collector of the District in the prescribed manner.

15. *Liability for delay in disposal.*—The onus for the delay in the disposal of mutation cases shall lie with the official concerned responsible for such delay.

16. *Authorities to have power of civil court.*—Under this Act the Collector, Additional Collector, the Land Reforms Deputy Collector and the Circle Officer shall have same powers in admission of evidence, making enquiries, summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oaths, compelling the production of documents and award of costs as are vested in the Court under the Code of Civil Procedure, 1908.

17. *Court Fee.*—Every petition, memorandum of appeal or application for revision filed under this Act shall bear court-fee stamp of such value as may be prescribed.

18. *Certified copies and information.*— Subject to such rules and on payment of such fee as the State Government, may from time to time prescribe in this behalf, information and certified extracts and certified copies of Order Sheets, Correction Slips, Continuous Khatian and Tenants' Ledger shall be given to persons applying for the same in the prescribed form.

19. *Direction, control and superintendence.*—The Circle Officer and the Deputy Collector Land Reforms and Additional Collector shall in the performance of their duties and in the exercise of their powers under the Act shall be under the general direction, control and superintendence of the Collector of the District.

20. *Power to remove difficulties.*—The State Government may, as occasions may require, by an order not inconsistent with the provisions of this Act, do anything or direct anything to be done to remove difficulties arising in giving effect to this Act.

21. *Act not to prevail upon other laws.*— The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of any of the provisions contained in any other law for the time being in force.

22. *Power of the Government to make Rules.*—(1) The State Government may, by notification, make rules not inconsistent with the provisions of this Act for carrying out all or any of the purposes of this Act.

(2) Every Rule made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session for a total period of 14 days which may be comprised in one Session or in two successive Sessions and if, before the expiry of the Session in which it is so laid in the Session immediately following, both the Houses agree in making any modification in the Rule or both the Houses agree that the Rule should not be made, the Rule shall thereafter have effect only in such modified form or be at no effect as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that Rule.

23. *Repeal and Savings.*—(1) The Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973 (Bihar Act 28 of 1975) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken in exercise of the powers conferred by or under the said Act shall be deemed to have been done or taken in exercise of power conferred by or under this Act, as if this Act were in force on the day on which such thing or action were done or taken.

By Order of the Governor of Bihar,
OM PRAKASH SINHA,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 801-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 भाद्र 1934 (श0)

(सं0 पटना 445) पटना, वृहस्पतिवार, 30 अगस्त 2012

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

30 अगस्त 2012

सं0 एल0जी0-1-11/2012/लेज: 383—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 27 अगस्त, 2012 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 16, 2012]

बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2012

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम-23, 2011) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-** (1) यह अधिनियम बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा ।
 (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
 (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।
2. **बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-12 में संशोधन।-** धारा-12 की उप-धारा (2) में शब्द, कोष्ठक एवं अंक "तैंतीस (33)" एवं "तीस (30)" शब्द, कोष्ठक एवं अंक "तिरसठ (63)" एवं "साठ (60)" द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
3. **बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-13 में संशोधन।-** धारा-13 की उप-धारा (2) में शब्द, कोष्ठक एवं अंक "तैंतीस (33)", एवं, " तीस (30)" शब्द, कोष्ठक एवं अंक "तिरसठ (63)" एवं "साठ (60)" द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

30 अगस्त 2012

सं0 एल0जी0-1-11/2012/लेज: 384—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा Dated 27th August 2012 को अनुमत बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समक्षा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

[Bihar Act 16, 2012]**The Bihar Land Mutation (Amendment) Act, 2012**

AN

ACT

To amend the Bihar Land Mutation Act, 2011 (Bihar Act 23, 2011).

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty-third year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement .** – (1) This Act may be called The Bihar Land Mutation (Amendment) Act, 2012.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall come into force at once.
2. **Amendment in Section-12 of the Bihar Land Mutation Act, 2011 .** – In Sub-Section (2) of Section-12, the words, brackets and figures "**thirty-three (33)**" and "**thirty (30)**" shall be substituted by the words, brackets and figures "**sixty-three (63)**" and "**sixty (60)**" respectively.
3. **Amendment in Section-13 of the Bihar Land Mutation Act, 2011.** – In Sub-Section (2) of Section-13, the words, brackets and figures "**thirty-three (33)**" and "**thirty (30)**" shall be substituted by the words, brackets and figures "**sixty-three (63)**" and "**sixty (60)**" respectively.

By order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 445-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र 1939 (श10)
(सं0 पटना 803) पटना, सोमवार, 4 सितम्बर 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं
4 सितम्बर 2017

सं० एलजी०-01-22/2017-180 लेज:—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 30 अगस्त 2017 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 22, 2017]

बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2017

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 23, 2011)

का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—(1) यह अधिनियम बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-2 (26) में संशोधन।— उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-2 की उप धारा-(26) में निम्नलिखित नई उप धारा-26(क) जोड़ी जायगी :-

“26(क) जमाबंदी पंजी”- जमाबंदी पंजी उन रैयतों का रजिस्टर है, जो संबंधित राजस्व ग्राम में भूमि धारित करते हैं जिसमें जमाबंदी रैयत का खाता, खेसरा, रकवा, चौहद्दी तथा भू-लगान दर्ज रहता है तथा वे धारित जमीन में खेती करते हैं, जिसके बदले उन्हें जमाबंदी पंजी में दर्ज प्रविष्टि के आधार पर भूमि के लगान का भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार जमाबंदी पंजी रैयत एवं भू-स्वामी (राज्य सरकार) के बीच भू-लगान संव्यवहार (लेन-देन) को प्रदर्शित करने वाले तथा धारित करने वाली भूमि को प्रदर्शित करने वाला महत्वपूर्ण भूमि अभिलेख है।

3. बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-3 में संशोधन।—(1) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-3 की उप धारा-(1) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप धारा-(1क) जोड़ी जायगी :-

“(1क) जिन मामलों में भूमि पर हित अर्जित करने के अधिकतम 90 दिनों के भीतर दाखिल खारिज हेतु याचिका समर्पित नहीं किया जाता है, वैसे मामलों में दाखिल खारिज याचिका के साथ विलम्ब क्षांति याचिका विहित प्रपत्र में संलग्न किया जाएगा, जिसमें विलम्ब का कारण उल्लिखित होगा। यदि याचिकाओं के साथ विलम्ब क्षांति याचिका विहित प्रपत्र में आवेदक के द्वारा संलग्न किया जाता है, तो मामलों का निष्पादन अंचल अधिकारी गुण-दोष के आधार पर करेंगे।”

(2) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-3 की उप धाराएं-(2) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“किसी होलिंग या उसके भाग में विक्रय, दान, विनिमय, बँटवारा द्वारा चाहे न्यायालय द्वारा अथवा अन्यथा निर्वसीयत अथवा वसीयत, बिल, राज्य सरकार के विभागों/उपक्रमों द्वारा बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के तहत पंजीकृत दस्तावेज से प्राप्त की गयी जमीन (सत्त लीज के शर्तों पर), सक्षम प्राधिकार द्वारा लोक भूमि की बन्दोबस्ती/अन्तरण/समनुदेशन, भूदान यज्ञ समिति द्वारा भूमि के अनुदान, बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियम, 1947 के अधीन प्रदत्त अभिधृति अधिकार, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के अधीन दर रैयत के रूप में अधिभोगी अधिकार का अर्जन, भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन पूर्व रैयत को होलिंग या उसके भाग का प्रत्यावर्तन, भू-अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013, राष्ट्रीय राज्यमार्ग अधिनियम, 1956 एवं रेलवे (विशेष) अधिनियम, 2008 के अधीन पूर्व रैयत को होलिंग या उसके भाग का प्रत्यावर्तन, वासभूमि रहित महादलित परिवारों के लिए रैयती भूमि की क्रय नीति, 2010 के अधीन क्रय की गयी वासभूमि, कोशी क्षेत्र (रैयतों को भूमि वापसी) अधिनियम, 1951 के अधीन पूर्व रैयत को होलिंग या उसके भाग का प्रत्यावर्तन, बिहार भूमि-सुधार (अधिकतम सीमा-निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 के अधीन भूमि की बन्दोबस्ती, किसी न्यायालय के आदेश/डिक्री अथवा सरकार द्वारा अधिसूचित अन्तरण का कोई अन्य उपाय/लिखत में हित अर्जित करने वाला कोई व्यक्ति, उस अंचल अधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में वह होलिंग अथवा उसका भाग अवस्थित है, के कार्यालय में या अंचल अधिकारी द्वारा उस क्षेत्र की दाखिल खारिज याचिकाओं को प्राप्त करने हेतु आयोजित शिविर में विहित रीति से उस होलिंग या उसके भाग के संबंध में चालू खतियान, अभिधारी खाता पंजी/जमाबंदी पंजी तथा खेसरा पंजी में अपने नाम से दाखिल खारिज करने के लिए याचिका दे सकेगा।”

(3) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-3 की उप धारा-(3) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप धारा-(3क) जोड़ी जायगी।— “भूमि के निबंधन के तत्काल बाद Online Mutation हेतु इस निमित्त अधिसूचित अंचलों से संबंधित अंचल अधिकारी स्वतः सज्ञान लेते हुए तीन कार्य दिवसों के अन्दर दाखिल खारिज का अभिलेख संधारित करते हुए विहित प्रपत्र में आम सूचना एवं खास सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। आम सूचना एवं खास सूचना निर्गत किये जाने के पश्चात् दाखिल खारिज वाद के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे।”

4. बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-4 में संशोधन।— (1) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-4 की उप धारा (5) में अंकित “भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन भूमि के अर्जन के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी, उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अवस्थित हो, को इसकी विहित प्रपत्र में सूचना देगा” शब्द “भू-अर्जन अधिनियम, 1894, भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम, 2013, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं रेलवे (विशेष) अधिनियम, 2008 के अधीन भूमि के अर्जन के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी, उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अवस्थित हो, को इसकी विहित प्रपत्र में सूचना देगा” द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(2) उक्त अधिनियम की धारा-4(6) में संशोधन।—(1) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-4(6) में प्रयुक्त शब्द “भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन पूर्व रैयत को भूमि प्रत्यावर्तित करने हेतु उत्तरदायी प्राधिकार उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अवस्थित हो, को इसकी सूचना विहित प्रपत्र में देगा।” शब्द “भू-अर्जन अधिनियम, 1894, भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम, 2013, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं रेलवे (विशेष) अधिनियम, 2008 के अधीन पूर्व रैयत को भूमि प्रत्यावर्तित करने हेतु उत्तरदायी प्राधिकार उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अवस्थित हो, को इसकी सूचना विहित प्रपत्र में देगा।” द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-6 में संशोधन।—(1) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-6(1) का (ख) के पश्चात् उप धारा-(ग) निम्नवत् जोड़ा जाता है :-

“(ग) बेव-साईट के माध्यम से ऑन-लाईन दाखिल खारिज याचिका अथवा निबंधन कार्यालयों से जमीन के हस्तान्तरण से संबंधित दस्तावेजों के पंजीकरण की सूचना के आधार पर दाखिल खारिज की ऑन-लाईन प्रक्रिया का सम्पादन इस निमित्त अधिसूचित अंचलों के अंचल अधिकारी के द्वारा किया जाएगा।”

(2) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-6 की उप धारा-(7) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है :-
“कर्मचारी, उस राजस्व ग्राम को, जिसमें होल्डिंग अथवा उसका भाग अवस्थित हो, चालू खतियान, अभिधारी खाता पंजी/जमाबंदी पंजी तथा खेसरा पंजी में शुद्धि-पत्र में परिवर्तन हेतु दिए गये आदेश को दर्शाते हुए प्रविष्टियों में परिवर्तन करेगा।”

(3) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-6 की उप धारा-(8) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है :-
“अभिधारी पंजी/जमाबंदी पंजी की प्रविष्टियों में किए गये परिवर्तन के आधार पर कर्मचारी संबंधित जमाबंदी में वार्षिक लगान एवं सेस की माँग में परिवर्तन करेगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

4 सितम्बर 2017

सं० एलजी०-01-22/2017-181 लेज:—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2017 को अनुमत बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2017 का निम्नलिखित अंग्रजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 22, 2017]

THE BIHAR LAND MUTATION LAW (AMENDMENT) ACT, 2017

AN
ACT

TO AMEND THE BIHAR LAND MUTATION ACT, 2011 (BIHAR ACT 23, 2011)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty eight year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and Commencement.**—(1) This Act may be called The Bihar Land Mutation (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. **Amendment in Sec-2 (26) of at number-23, 2011.—** "The following will be added in sub-sec(26) of section-2 as new sub-section 26(A)-

"26(A) Jamabandi Register"- Jamabandi Register is a register of such raiyats, who own/possess land in the concerned revenue village. In such register various details of land such as Khata, Khesra, Area, Boundary and land rent are entered and they cultivate such land. In lieu of cultivation over such land, they have to pay rent as per entries in the Jamabandi Register. Thus, Jamabandi Register is an important register depicting exchange of land rent between Jamabandi Register Raiyat and owner (State Govt.) of the land."

3. **Amendment in section-3 of the Bihar Act 23, 2011.—**(1) The following new sub section (1A) shall be added after sub-section (1) of Section-3 of the said Act, 2011:-

"(1A) In such cases in which mutation petition is not filed within 90 maximum days from the date of acquiring interest over that land, delay condonation petition will be enclosed in prescribed form with such mutation petitions mentioning the reasons of delay in filing mutation petition. If delay condonation petition is enclosed with the mutation petitions, the Circle Officer will decide such cases on its merit."

(2) **Sub sec-2 of Sec-3 of the above Act, 2011 shall be substituted by the following :-**

"Any person acquiring any interest in any holding or a part thereof by sale, gift, exchange, partition, whether by court or otherwise, succession interstate or testamentary, will, **Land Acquired by the various departments/Boards and Corporations of the State Government through registered deed (under conditions of perpetual lease)**, settlement/transfer/assignment of public land by Competent Authority, grant of land by the Bhoodan Yagna Samiti, conferment of tenancy rights under the Bihar Privileged Persons' Homestead Tenancy Act, 1947, acquisition of occupancy rights as under raiyat-under the Bihar Tenancy Act, 1885, restoration of holding or part thereof to a former raiyat under the land Acquisition Act, 1894, **Restoration of holding or part thereof to a former raiyat under the Land Acquisition Act, 1894, The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) The National Highways Act, 1956 and The Railways (Special) Act, 2008**, house-sites purchased under Policy for Purchase of Raiyati land for house-siteless Mahadalit families 2010, restoration of holding or a part thereof to former raiyats under the Kosi Area (Restoration of land to Raiyat) Act, 1951, settlement of surplus and under the Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961, an order/decreed of any court or any other means/instrument of transfer notified by the Government, may file a petition in the prescribed manner for mutation of his name in respect of that holding or a part thereof in the **Continuous Khatian, Tenants' Ledger Register/Jamabandi Register and Khesra Register** in the office of the Circle Officer in whose jurisdiction the holding or a part thereof is situated or in a camp organized by the Circle Officer for the receipt of mutation petitions of the area."

(3) **The following sub sec-3 (A) shall be added after sec-3 (3) of the said Act, 2011 :-**

"After registration of land, the Circle Officers of those notified Anchals will take suo-motu cognizance for Online Mutation and start mutation case record within three working days. The Circle Officer shall issue general notice and particular notice in prescribed form. After issuing general notice and also particular notice, the Circle Officer shall abide by the prescribed procedure for disposal of the mutation case records."

4. **Amendment in Section-4 of the Bihar Act 23, 2011.-** (1) The words and figures "Authorities, responsible for the acquisition of land under the Land Acquisition Act, 1894, shall give notice to this effect in the prescribed form to the Circle Officer of the area in whose jurisdiction the land is situated." used in subsection (5) of section 4 shall be substituted by the words and figures "Authorities, responsible for the acquisition of land under the Land Acquisition Act, 1894 **The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) The National Highways Act, 1956 and The Railways (Special) Act, 2008** shall give notice to this effect in the prescribed form to the circle officer of the area in whose jurisdiction the land is situated."

(2) **Amendment in section 4 (6) of the said Act 2011.—**(1) the words and figures "Authorities responsible for the restoration of land to former raiyats under the Land Acquisition Act, 1894, shall give notice to this effect in the prescribed form to the Circle

Officer of the area in whose jurisdiction the land is situated." used in sub-section (6) of section (4) of the Act shall be substituted by the words and figures. **"Authorities responsible for the restoration of land to former raiyats under the Land Acquisition Act, 1894 The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) The National Highways Act, 1956 and The Railways (Special) Act, 2008 shall give notice to this effect in the prescribed form to the Circle Officer of the area in whose jurisdiction the land is situated."**

5. (1). *The following shall be added as sub-section-(C) of section-3 after section-3(1)(B) of the said Act, 2011 :-*

"Online mutation applications will be received through web-site and from registration offices after registration of land transfer deeds. On such informations, the Circle Officers of such notified Anchals will dispose of mutation cases on the basis of online process."

(2) *Sub Section-(7) of Section-6 of the said Act shall be replaced by the following :-*

"The Karamachari shall alter the entries in the Continuous Khatiyani,, Tenants' Ledger Register/Jamabandi Register and Khesra Register of the Revenue Village in which the holding or a part thereof is situated reflecting the order for alteration given in the correction slip."

(3) *Sub Section-(8) of Section-6 of the said Act shall be replaced by the following :-*

"On the basis of the alteration effected in the entries of the Tenants' Ledger Register/Jamabandi Register the Karmachari shall alter the yearly demand of rent and cess of the concerning jamabandi."

By Order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)803-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 अग्रहायण 1943 (श10)
(सं0 पटना 1013) पटना, शुक्रवार, 17 दिसम्बर 2021

विधि विभाग

अधिसूचना

17 दिसम्बर 2021

सं० एल०जी०-01-23/2021-6958/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पी०सी०चौधरी,
सरकार के सचिव।

(बिहार अधिनियम 24, 2021)

बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2021

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 23, 2011) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियम हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**—(1) यह अधिनियम बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-2 में संशोधन।**— उक्त अधिनियम की धारा-2 की उप धारा-(27) के बाद निम्नलिखित नयी उप धारा-(28) जोड़ी जायेगी:-

“दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र (Pre-Mutation Revenue Sketch Map) से अभिप्रेत है, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 एवं नियमावली 2012 के आधार पर अंतिम रूप से प्रकाशित राजस्व नक्शा का सत्यापित वह भाग जो रैयतों के द्वारा दाखिल खारिज याचिका के साथ संलग्न कर अपने क्षेत्र के अंचल अधिकारी को दाखिल खारिज की प्रक्रिया संचालित किये जाने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार के नक्शा में रैयतों द्वारा हित अर्जित करने वाली भूमि का वह अंश जिसे दाखिल खारिज हेतु अंचल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा, को स्पष्ट रूप से चौहद्दी के साथ रेखांकित किया जायेगा।”

3. **बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-3 में संशोधन।**— उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-3 की उप धारा-(5) के पश्चात् निम्नलिखित उप धाराएं जोड़ी जायेगी:-

(6) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 में अंकित प्रावधानों के आलोक में निर्मित सर्वे खतियान एवं राजस्व नक्शा के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् अधिकार अंतरण के प्रत्येक मामले के आधार पर दाखिल खारिज हेतु दायर की जाने वाली याचिका में सरकार द्वारा प्राधिकृत/सूचीबद्ध व्यक्ति/Empanelled एजेंसी द्वारा निर्मित On Scale नक्शा, जिसमें अधिकार प्राप्त भू-खण्ड तथा उसकी चौहद्दी रेखांकित हो, संलग्न की जायेगी।

(7) दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र (Pre-Mutation Revenue Sketch Map) तैयार करने के सक्षम व्यक्ति/एजेंसी सरकार द्वारा दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र तैयार किये जाने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE (All India Council for Technical Education)/UGC/IIT/NIT द्वारा मान्यता प्राप्त Civil Engineering में डिप्लोमा/डिग्री धारित करने वाले अभ्यर्थियों का जिलावार पैनल सरकार द्वारा तैयार किया जायेगा। सरकार दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र (Pre-Mutation Revenue Sketch Map) तैयार करने के सक्षम व्यक्ति/एजेंसी के पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के संबंध में समय-समय आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकेगी। पैनल तैयार करने की प्रक्रिया एवं पैनल में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण सरकार द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार के चयनित व्यक्तियों/एजेंसी के द्वारा दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र तैयार किये जाने हेतु रैयतों से प्राप्त किये जाने वाले शुल्क का निर्धारण भी सरकार द्वारा किया जायेगा।

(8) वैसे प्रतिष्ठान/अभ्यर्थी जिनका चयन दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र तैयार करने हेतु किया जायेगा, को जमीन की मापी हेतु E.T.S अथवा विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य आधुनिक उपकरण तथा मानचित्र तैयार करने हेतु विभाग द्वारा Digital Form में उपलब्ध कराये गये Software के अधिष्ठापन हेतु कम्प्यूटर/लैपटॉप रखना आवश्यक होगा। इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थी/एजेंसी को डिजिटल Map को Edit करने का ज्ञान होना आवश्यक होगा। उक्त अभ्यर्थी/एजेंसी का दायित्व होगा की वे आवेदित Sketch Map/on the Scale Map तैयार करेंगे एवं सरजमीन का सत्यापन का कार्य करेंगे एवं राजस्व कार्यालयों के अन्तर-सम्बद्धीकरण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

(9) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत निर्माणाधीन खतियान एवं राजस्व नक्शा के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के बीच यदि किसी रैयत द्वारा जमीन पर विभिन्न विलेखों के आधार पर हित अर्जित किया जाना पाया जाता है, तो अंचल अधिकारी प्रभावी सर्वे खतियान (Cadastral/ Revisional जो भी प्रभावी हो) के आधार पर दाखिल खारिज की कार्रवाई करेंगे, लेकिन विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत निर्मित खतियान/नक्शा के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् इस प्रकार के परिवर्तन को डिजिटल फॉर्म में संधारित राजस्व नक्शा में आवश्यक परिवर्तन करना सुनिश्चित करेंगे।

4. बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-5 में संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप धारा-4 के पश्चात् निम्नलिखित उप धारा जोड़ी जायेगी:—

“4(क) रैयतों द्वारा दाखिल खारिज याचिका के साथ दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र समर्पित किये जाने के पश्चात् उसकी जांच राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी के द्वारा की जायेगी तथा जांचोपरांत सही अथवा गलत पाये जाने पर उसे अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी को अपने जांच प्रतिवेदन के साथ अग्रसारित किया जायेगा।”

5. बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-5(5) में संशोधन।—बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-5(5) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा—

“ यदि अंचल अधिकारी दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र एवं दाखिल खारिज प्रस्ताव से संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी की जांच पड़ताल से संतुष्ट नहीं हों, तो उस रीति से, जिसे वह उचित समझे, वह स्वयं जांच कर सकेगा एवं अपना निष्कर्ष विहित रीति से अभिलिखित करेगा।”

6. बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-6(1) में संशोधन। अधिनियम की धारा-6(1) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“(1) राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी से दाखिल खारिज याचिका एवं दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विहित रीति से अथवा अधिनियम की धारा-5(5) के अधीन स्वयं अपने द्वारा जांचोपरांत उन व्यक्तियों जिसका होल्डिंग या उसके भाग में हित निहित हो के साथ जन साधारण से विहित रीति से दाखिल खारिज प्रस्ताव एवं दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र के संबंध में आपत्ति आमंत्रित करने के उपरांत दाखिल खारिज मामलों का—

(क) अपने कार्यालय में होने वाले नियमित दाखिल खारिज न्यायालय अथवा

(ख) उस क्षेत्र के दाखिल खारिज मामलों के निपटारा हेतु जिस क्षेत्र में होल्डिंग अथवा उसका भाग अवस्थित हो, आयोजित शिविर न्यायालयों में निपटारा करेगा।

(ग) वेबसाईट के माध्यम से दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र के साथ ऑनलाईन दाखिल खारिज याचिका अथवा निबंधन कार्यालयों से जमीन के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों के पंजीकरण की सूचना के आधार पर दाखिल खारिज की ऑनलाईन प्रक्रिया का सम्पादन इस निमित्त अधिसूचित अंचलों के अंचल अधिकारी के द्वारा किया जायेगा। निबंधन कार्यालयों से दस्तावेजों के पंजीकरण के समय दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र भी प्राप्त किया जायेगा एवं उसे संलग्न कर पंजीकृत दस्तावेज के साथ ऑनलाईन दाखिल खारिज हेतु अंचल कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।”

7. बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-6(6) में संशोधन। उक्त अधिनियम, 2011 की धारा- 6(6) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा:— “जिन मामलों में दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र के साथ दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाती है, उनमें अंचल अधिकारी अपने दाखिल खारिज आदेश को कार्यान्वित करने हेतु विहित प्रपत्र में शुद्धि पत्र एवं अनुमोदित दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र निर्गत करेगा तथा याचिकाकर्ता को शुद्धि पत्र एवं अनुमोदित दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र की प्रतियां उपलब्ध करायेगा। इसके साथ ही दाखिल खारिज की स्वीकृति एवं दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र के अनुमोदन के पश्चात् अंचल कार्यालय में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 से संबंधित डीजिटल राजस्व नक्शा में आवश्यक संशोधन/परिवर्तन किया जायेगा।”

8. बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-7 में संशोधन। उक्त अधिनियम की धारा-7(1) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा:— “अंचल अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अथवा अंचल अधिकारी द्वारा अनुमोदित दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र के विरुद्ध व्यथित पक्ष अंचल अधिकारी के आदेश/अनुमोदन की तारीख के तीस दिनों के भीतर भूमि सुधार उप समाहर्ता के समक्ष अपील कर सकेगा।”

9. बिहार अधिनियम 23, 2011 की धारा-8 में संशोधन। उक्त अधिनियम की धारा-8(2) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा:— “भूमि सुधार उप समाहर्ता के दाखिल खारिज अपील वाद अथवा दाखिल खारिज पूर्व खाका (रेखा-चित्र) राजस्व मानचित्र को अनुमोदित किये जाने के विरुद्ध व्यथित पक्ष, उस आदेश/अनुमोदन के तीस दिनों के भीतर समाहर्ता/अपर समाहर्ता के समक्ष पुनरीक्षण हेतु आवेदन दायर करेगा।”

पी०सी०चौधरी,
सरकार के सचिव।

17 दिसम्बर 2021

सं० एल०जी०-01-23/2021-6959/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा dated-15th December, 2021 को अनुमत बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम 24, 2021) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पी०सी०चौधरी,
सरकार के सचिव।

(Bihar Act 24, 2021)

The Bihar Land Mutation (Amendment) Act, 2021

AN

ACT

to amend the Bihar Land Mutation Act, 2011 (Bihar Act 23, 2011)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy second year of the Republic of India as follows :-

1. Short Title, Extent and Commencement.-

- (1) This Act may be called the Bihar Land Mutation (Amendment) Act-2021
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Amendment in Section 2, of the Bihar Act 23, 2011.- The following sub-section-28 shall be added after sub-section-(27) of section-2 of the said Act:-

"The Pre-Mutation Revenue Sketch Map means a verified portion of the revenue map finally published on the basis of Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 and Rules, 2012 which shall be submitted by raiyats to Circle Officer of their region conducting the process of mutation enclosing the petition of mutation. The part of the land, acquiring interest by raiyats in such map which shall be submitted to the Circle Officer for mutation shall be demarcated clearly with boundary."

3. Amendment in section-3 of the Bihar Act 23, 2011. - The following sub-sections shall be added after sub-section-(5) of Section-3 of the said Act, 2011:-

- (6) After final publication of Survey Khatian and Revenue Map made in view of provisions mentioned in Bihar Special Survey and Settlement Act-2011 and Rules 2012, on the basis of every case of right transfer, the On Scale Map made by the authorised/registered persons by the Government/Empanelled Agency in which authorised part of the land and their boundary are demarcated shall be enclosed with the petition to be filed.

- (7) Competent Person/Agency for preparing Pre-Mutation Revenue Sketch Map- A districtwise panel of candidates having diploma/degree in Civil Engineering recognised by AICTE (All India Council for Technical Education)/UGC/IIT/NIT shall be prepared by the Government for making Pre-Mutation Revenue Sketch Map. The Government may from time to time alter in respect of the eligibility and educational qualification of Competent Person/Agency preparing Pre-Mutation Revenue Sketch Map as per need. The number of candidates to be included in the panel and the process of preparing panel shall be determined by the Government. The fees to be received from the raiyats for preparing Pre-Mutation Revenue Sketch Map by the Persons/Agency selected as such shall also be determined by the Government.
- (8) Those establishment/candidates who will be selected for preparation of Pre-Mutation Revenue Sketch Map shall have to keep ETS or other modern equipments approved by the Department for measurement of land and computer/laptop for installing software to be made available in Digital Form by the Department for preparing map. Besides, selected candidates/ Agency should have the knowledge of editing Digital Map. Selected Candidates/Agency shall have the responsibility to prepare Sketch Map/on the scale Map applied and to verify the land on spot and will provide necessary co-operation for inter-connectivity of Revenue Offices.
- (9) If acquiring interest is found on the basis of different deeds on land by any raiyat in-between Khatian preparation and draft publication and final publication of Revenue Map under Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011, the Circle Officer shall initiate action of land mutation on the basis of effective Survey Khatian (Cadastral/Revisions, whichever effective) under the Bihar Special Survey and Settlement Act-2011, but after the final publication of Khatian/Map prepared under Special Survey and Settlement Act, 2011 he shall ensure the necessary alteration in the Revenue Map maintained in digital form."
4. **Amendment in section-5 of the Bihar Act 23, 2011.** - The following sub-section shall be added after sub-section-(4) of section-5 of the said Act :-
- "4 (a) After submitting Pre-Mutation Revenue Sketch Map alongwith the petition for Mutation by raiyats, it shall be inquired by the Revenue Karmachari and Revenue Officer and after enquiry, whether found right or wrong, it shall be forwarded to the Circle Officer with inquiry report for further action."

5. **Amendment in section-5(5) of the Bihar Act 23, 2011.-** Section 5(5) of the act shall be substituted by the following:-
"If the Circle Officer is not satisfied with the inquiry of Revenue Karmachari and Revenue Officer with regard to Pre-Mutation Revenue Sketch Map and Mutation Proposal, he may himself conduct inquiry in such manner as he deems fit and shall record his findings in prescribed manner."
6. **Amendment in Section-6(1) of the Bihar Act 23, 2011.-** Section-6 (1) of the said Act shall be substituted by the following:-
(1) The Circle Officer, on receipt of inquiry report from Revenue Karmachari and Revenue Officer in respect of the Mutation petition and Pre-Mutation Revenue Sketch Map or upon his own inquiry under Section-5 (5) of this Act, shall dispose of the mutation case in the prescribed manner after inviting objections in respect of Mutation Proposal and Pre-Mutation Revenue Sketch Map in the manner prescribed from persons having interest in the holding or the part thereof as well as general public in a-
(a) Regular mutation court held in his office; or
(b) In camp courts organised for the disposal of mutation cases of the area where the holding or a part thereof is situated.
(c) On the basis of information for Pre-Mutation Revenue Sketch Map along with online mutation petition through website or transaction through registration of documents relating to transfer of land from the offices of registration, the process of disposal of online land mutation shall be done by the Circle Officers of the Circles notified in this behalf. At the time of registration of documents from the offices of registration, Pre-Mutation Revenue Sketch Map shall also be received and after enclosing this with registered documents it shall be made available to the Circle Office for Online Mutation.
7. **Amendment in Section 6(6) of Bihar Act 23, 2011.-** Section -6 (6) of the Act, 2011 shall be substituted by the following:-
"The cases in which mutation is allowed with pre-mutation Revenue Sketch Map, the Circle Officer shall issue a correction slip in prescribed form and approved Pre-Mutation Sketch Map and make available copies of correction slip and approved Pre-Mutation Revenue Sketch Map to the petitioner to implement his land mutation order. Alongwith this, after the admission of Mutation and approval of Pre-Mutation Revenue sketch Map, necessary amendment/alteration in digital Revenue Map related to the Bihar Special Survey and Settlement Act-2011 shall be done in Circle Office."
8. **Amendment in Section 7 of Bihar Act 23, 2011.-** Section-7(1) of the Act shall be substituted by the following:-
" The party aggrieved by the order of the Circle Officer or against Pre-Mutation Revenue Sketch Map approved by the Circle Officer shall appeal to Deputy Collector Land Reforms (DCLR) within 30 days from the date of order/approval."

9. **Amendment in Section 8 of Bihar Act 23, 2011.**- Section-8(2) of the Act shall be substituted by the following:-

"The Party aggrieved by the Deputy Collector Land Reforms (DCLR) Mutation Appeal Suit or Pre-Mutation Revenue Sketch Map being approved shall file an application before the Collector/Additional Collector within 30 days from the date of order/approval for revision. "

पी०सी०चौधरी,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1013-571+400-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>